

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 3531] No. 3531] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद 15, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2018

का.आ. 4345(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा न्यायविज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय, पुलिस विभाग कर्नाटक के अधीन राज्य न्यायविज्ञान प्रयोगशाला, माडिवाला, बंगालुरु, को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसुचित करती है, अर्थात :

कार्यक्षेत्र : (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायविज्ञान-फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर;

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान

[फा. सं. 2(6)/2017-सीएलईएस]

पंकज कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2018

S.O. 4345(E).—In exercise of the powers conferred by section 79A of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby notifies State Forensic Science Laboratory, Madiwala, Bangaluru, under Directorate of Forensic Sciences, Karnataka, Police Department, as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely:-

- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;
- (b) Mobile Devices Forensics.

[F. No. 2(6)/2017-CLES]

PANKAJ KUMAR, Add. Secy.

5253 GI/2018